रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302[नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 1972/ज्येष्ठ 29, 1894

No. 302] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 1972/JYAISTHA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June 1972

S.O. 435(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

ye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Assam

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Mahendra Mohan Choudhury of Ward No. 10, Gauhati Town, P. S. Gauhati, Rehabari Road (Lokhra), Dist.—Kamrup.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Baharul Islam.

Place: Shillong.
Date: 10-6-72.

(Sd.) U. C. TAHBILDAR,
Returning Officer."

[No. F.13(1)/72-Leg.II.]

Y

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 जून, 1972

का० आ० 435 (अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

असाम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 11 के उप-नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री बहरुल इस्लाम के त्यागपत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए —

वार्ड सं० 10 के
श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
गोहाटी टाउन, पुलिस स्टेशन गोहाटी
रिहाबरी रोड (लोखरा)
जिला—कामरूप ।

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान—शिलोंग ।

तारीख : 10—6—72 ।

(ह०) यू० सी० तहबीलदार,
रिटर्निंग आफिसर ।"

[सं० फा० 13 (1)/72—विधायी 2

के० के० सुन्दरम् संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972